प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 30.07.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- घर में घुसकर दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार थाना भोजपुरः-

अवगत कराना है कि दिनांक 29.07.2024 वादिनी निवासनी थाना भोजपुर क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपी द्वारा वादिनी के घर मे घुसकर वादिनी के साथ दुष्कर्म करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 313/2024 धारा- 333/64/351(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाम साजिद पुत्र शमीम निवासी ग्राम गुलडिया थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 30.07.2024 को निरीक्षक अपराध रविन्द्र कुमार थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी साजिद पुत्र शमीम उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2- थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा, शान्ति भंग करने में 07 आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 30.07.2024 को **थाना मैनाठेर पुलिस** द्वारा आरोपीगण 1.नरोत्तम पुत्र काशीराम, 2.महाराम पुत्र काशीराम, 3.ताराचन्द पुत्र फूलकुवर निवासीगण ग्राम इमरतपुर उधौ थाना मैनाठेर मुरादाबाद, 4.गुलजार अंसारी पुत्र जाहिद हुसैन निवासी मौहल्ला मुल्लानो वालो थाना पाकबाडा मुरादाबाद, 5.मौ0 आजम पुत्र हाजी मरगूब हुसैन निवासी मौ0 इस्लामनगर थाना पाकबाडा मुरादाबाद, 6.फैजान पुत्र मतीन निवासी मौहल्ला इस्लामनगर थाना पाकबाडा जनपद मुरादाबाद, 7.रवित कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नरौदा थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद, को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परीशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा 170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।